**Examination for Recruitment of Veterinary Surgeon**

\*109 SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A. (Rohtak):

Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state:-

1. the number of posts advertised by the Government for the recruitment of the Veterinary Surgeon as per the advertisement no. 41/2022;
2. the number of the students who have passed the examination of the Veterinary Surgeon; and

c) the reasons for which the abovesaid examination has not been cancelled in spite of having many wrong answers in the answer key of Veterinary Surgeon exam togetherwith the details thereof?

**Jai Parkash Dalal, Animal Husbandry & Dairying Minister:**

Sir,

1. On 09.12.2022 the Haryana Public Service Commission advertised a total of 383 posts of Veterinary Surgeons.
2. The Hon’ble Punjab and Haryana High Court in its interim order on 09.02.2023 in CWP No. 2710 of 2023 stayed the declaration of the result till next date of hearing i.e. 13.03.2023. However, on 13.03.2023 the case was not heard and next date of hearing has been fixed on 18.10.2023 by the Hon’ble Court; and
3. The matter is currently sub judice and the reply of the Haryana Public Service Commission is to be filed before the Hon’ble Court. Besides the matter has also be referred to the Director General of Police, Haryana on 03.03.2023 for inquiry / investigation into certain allegations. The inquiry is underway.

**पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती के लिए परीक्षा**

**\*109 श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक (रोहतक):**

क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या-41/2022 के अनुसार सरकार द्वारा विज्ञापित किए गए पदों की संख्या कितनी है;

ख) पशु शल्य चिकित्सक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है; तथा

ग) पशु शल्य चिकित्सक परीक्षा की उत्तर कुंजी में अनेक गलत उत्तर होने के बावजूद उपरोक्त परीक्षा को निरस्त न किए जाने के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**जय प्रकाश दलाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री**

श्रीमान् जी,

क) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.12.2022 को कुल 383 पशुचिकित्सकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

ख) माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 की याचिका संख्या 2710 में दिनांक 09.02.2023 को अंतरिम आदेश द्वारा सुनवाई की आगामी तिथि 13.03.2023 तक परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, दिनांक 13.03.2023 को केस की सुनवाई न होने पर सुनवाई की अगामी तिथि 18.10.2023 निश्चित की गई है।

ग) वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ आरोपों की पूछताछ / जांच हेतु मामला दिनांक 03.03.2023 को महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा को भी भेजा गया है, जिसकी जांच अभी प्रक्रिया में है।